

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ० २ रूल ६-७ जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :- श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० -303/2016

इन्द्राज सिंह

बनाम

निर्णय

निर्णय दिनांक: 25.9.17

चौथमल आदि

दिनांक: 25.9.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-.....

..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-


विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर , रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रूपये
1	इन्द्राज सिंह पु० चिरंजीलाल जाकति जाट सा० देह खातेदार	पापड़ा कलां	1071/177	0.07	बा० 2	0.26
			1073/178	0.16	बा० 2	0.59
			178/1	0.0350	बा० 2	
	किता	3	0.2650	बा० 2		
2	चौथमल नागरमल राम गोपाल ओमप्रकाश द्वारकाप्रसाद पि० हरिराम हि० 1/2 मोहनराम पु० हनुमान हि० 1/2 दर हि० 0.80 जाति चेजारा बनवारी पु० प्रभात जाति जोबी हि० 0.3050 सा० देह खातेदार	पापड़ा कलां	177	0.22	बा० 2	0.82
			178	0.2450	बा० 2	
			180	0.44	बा० 2	1.63
			181	0.15	बा० 2	0.56
			186	0.05	बा० 2	0.19
	किता	5	1.105	बा० 2		

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे।

निज...-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह -..... का अदा करे।
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..... का अदा करे।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 9 सन 2017 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (राजस्थान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० -303/2016

इन्द्राज सिंह

बनाम
निर्णय

निर्णय दिनांक 25.9.17

चौधमल आदि

दिनांक 25.9.17

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2017 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्र क्रमांक/भू0अ0/17/1293 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रुपये
1	इन्द्राज सिंह पु० चिरंजीलाल जाति जाट सा० देह खातेदार	पापड़ा कलां	1071/177	0.07	बा० 2	0.26
			1073/178	0.16	बा० 2	0.59
			178/1	0.0350	बा० 2	
	किता	3	0.2650	बा० 2		
2	चौधमल नागरमल रामगोपाल ओमप्रकाश द्वारकाप्रसाद पि० हरिराम हि० 1/2 मोहनराम पु० हनुमान हि० 1/2 दर हि० 0.80 जाति चेजारा बनवारी पु० प्रभात जाति जोगी हि० 0.3050 सा० देह खातेदार	पापड़ा कलां	177	0.22	बा० 2	0.82
			178	0.2450	बा० 2	
			180	0.44	बा० 2	1.63
			181	0.15	बा० 2	0.56
			186	0.05	बा० 2	0.19
	किता	5	1.105	बा० 2		

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 25.09.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी